

श्री प्रदीप कुमार शर्मा

अधिकृत हस्ताक्षरी

पार्श्वनाथ डवलपर्स लि०,

शादहरा, दिल्ली - 110032

आपके मानचित्र संख्या 20180111190150243 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर के प्लॉट संख्या-505, सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ०प्रा० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. उ०प्रा० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
10. भवन निर्माण एवं विकास अधिनियम 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नियमानुसार करना होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 600 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
15. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
16. भवन निर्माण करते समय प्लान्च एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
17. प्रश्नगत मानचित्र के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित

सहसंचालक विकास प्राधिकरण

सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक : 355/जोन-10/स0वि0प्रा0/2018

दिनांक 09 फरवरी, 2018

श्री प्रदीप कुमार शर्मा

अधिकृत हस्ताक्षरी

पार्श्वनाथ खदलपर्स लि0,

शादहरा, दिल्ली - 110032

आपके मानचित्र संख्या 20180111185630360 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर के प्लॉट संख्या-504, सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
  2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
  4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
  5. उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मॉंगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
  6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कमी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
  7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
  8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
  9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
  10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
  11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
  12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
  13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
  14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
  15. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
  16. भवन निर्माण करते समय प्लानिन्ग एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
  17. प्रश्नगत मानचित्र के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।


उप्राध्यक्ष  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर।

श्री प्रदीप कुमार शर्मा  
अधिकृत हस्ताक्षरी  
पार्श्वनाथ डवलपर्स लि०,  
शादहरा, दिल्ली - 110032

आपके मानचित्र संख्या 20180111194710910 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर के प्लॉट संख्या-275, सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/टेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
15. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
16. भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
17. प्रश्नगत मानचित्र के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

  
उपस्थित  
सहसहस्रनपुर विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक : 357/जोन-10/स0वि0प्रा0/2018

दिनांक 09 फरवरी, 2018

श्री प्रदीप कुमार शर्मा  
अधिकृत हस्ताक्षरी  
पार्श्वनाथ डवलपर्स लि0,  
शादहरा, दिल्ली - 110032

आपके मानचित्र संख्या 20180111175000353 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर के प्लॉट संख्या-272, सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
  2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
  4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
  5. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
  6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि भौके पर कमी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
  7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
  8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
  9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
  10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
  11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
  12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
  13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
  14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
  15. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
  16. भवन निर्माण करते समय प्लानिथ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
  17. प्रश्नगत मानचित्र के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपप्राधिकृत  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर।

श्री प्रदीप कुमार शर्मा  
अधिकृत हस्ताक्षरी  
पार्श्वनाथ डवलपर्स लि0,  
शादहरा, दिल्ली - 110032

आपके मानचित्र संख्या 20180111184502927 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, दिल्ली रोड, सहारनपुर के प्लॉट संख्या-506, सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
  2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वागित्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
  4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
  5. उ0प्रा0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
  6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि गौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
  7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
  8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
  9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
  10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
  11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
  12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
  13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
  14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
  15. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
  16. भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
  17. प्रश्नगत मानचित्र के स्वागित्य के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

सह. सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
स. सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक : 381 / जौन-10 / सवि0प्रा0 / 2018

दिनांक : 21-3-2018

श्री प्रदीप कुमार शर्मा  
द्वारा पार्श्वनाथ डवलपर्स लि०  
दिल्ली रोड, सहारनपुर।

आपके मानचित्र संख्या 185/2017-18 दिनांक के सन्दर्भ में आपके आवासीय भवन निर्माण का जो मीहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, सहारनपुर के प्लॉट संख्या 192 सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कमी भी जॉंच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नियमानुसार करना होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
15. बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
16. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
17. भवन निर्माण करते समय प्लीन्थ एवं रूफ लेवल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
18. प्रस्तुत मानचित्र के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपस्थित  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक : 379 / जोन-10 / सोवि0प्रा0 / 2018

दिनांक : 21-03-2018

श्री प्रदीप कुमार शर्मा  
द्वारा पार्श्वनाथ डवलपर्स लि0  
दिल्ली रोड, सहारनपुर।

आपके ऑनलाईन मानचित्र सं0 20180102201809830 दिनांक के सन्दर्भ में आपके आवासीय भवन निर्माण का जो मोहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, सहारनपुर के प्लॉट संख्या 502 सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
15. बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
16. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
17. भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
18. प्रारम्भिक मानचित्र के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर

श्री प्रदीप कुमार शर्मा  
द्वारा पार्श्वनाथ डवलपर्स लि०  
दिल्ली रोड, सहारनपुर।

आपके मानचित्र संख्या 184/2017-18 दिनांक के सन्दर्भ में आपके आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, सहारनपुर के प्लॉट संख्या 305 सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वागित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जॉब की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओक्यूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
15. बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
16. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
17. भवन निर्माण करते समय प्लैन्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
18. प्रश्नगत मानचित्र के स्वागित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपाध्यक्ष  
उ० प्र० विभाग  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर।

कार्यालय

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रांक : 382 /जोन-10/स0वि0प्रा0/2018

दिनांक : 21-3-2018

श्री प्रदीप कुमार शर्मा  
द्वारा पार्श्वनाथ डवलपर्स लि0  
दिल्ली रोड, सहारनपुर।

आपके मानचित्र संख्या 186/2017-18 दिनांक के सन्दर्भ में आपके आवासीय भवन निर्माण का जो मौहल्ला/कालोनी पार्श्वनाथ सिटी, सहारनपुर के प्लॉट संख्या 273 सहारनपुर पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से 05 (पाँच) वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कमी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
15. बेसमेन्ट का निर्माण नहीं किया जायेगा।
16. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
17. भवन निर्माण करते समय प्लान्थ एवं रूफ लेविल पर निर्माण आने पर विभाग को सूचित करना होगा।
18. प्रश्नगत मानचित्र के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

उपप्रमुख  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर  
घड़ी मंडर